

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश ग्वालियर
O/o the Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh,
Gwalior

दिनांक 12-10-2023

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER- 93

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 28-Audit (Rules)8-2009 दिनांक 20.05.2009 के साथ प्राप्त भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन स. 35034/3/2008- स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 एवं कार्यालय आदेश क्र प्रशा.12/स.6/एम.ए.सी.पी/वि.उ/फा-16/भाग(III)/का.आ-75 दिनांक 24.08.2023 के तारतम्य में निम्नलिखित कर्मचारी को MACP योजना के अंतर्गत अगले लेवल में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उनका निम्नानुसार वेतन निर्धारण किया जाता है-

Consequent upon granting third financial upgradation under MACP Scheme vide this office order No Admn-12/Gr-6/MACP/FU/F-16/Part-(III)/O.O. 75 dated 24.08.2023 in terms of Office Memorandum No. 35034/3/2008-Estt-(D) dated 19.05.2009 of GOI, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) received with Headquarters' letter no. 28-Audit(Rules) 8-2009 dated 20.05.2009; the pay of following official is fixed in next Level as under;

क्र.	नाम पद एवं स्थाई क्रमांक Name and Prmtt No.	वर्तमान वेतन/ Present Pay		कार्यग्रहण दिनांक/ Joining Date	वित्तीय उन्नयन Financial upgradation		अभियुक्तियाँ /Remarks
		आहरण दिनांक	वेतन		दिनांक	वेतन	
1.	श्री संजय Sh. Sanjay (05/10146)	01.07.2023	37200 (लेवल-3)	22.07.2023	22.07.2023 01.07.2024	37500 (लेवल-4) 39800 (लेवल-4) (विकल्पानुसार) <u>D.N.I</u> <u>01.01.2025</u>	एम.ए.सी.पी के पैरा-4 एवं के. सि. से. (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2016 के नियम 13 एवं 10 के अन्तर्गत Para 4 of MACP and under rule 13 & 10 of CCS (RP) Rules

